

अवधारणा

इन्द्रः सीतां नि गृहणातु तां पूषानु यच्छतु।
सा नः पयस्वतीं दुहामुत्तरामुतरां समाय्॥
शुनं नः फाला वि कृषन्तु भुमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः।
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्॥
ऋग्वेद 4/57/7-8

भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से ही कृषि आधारित रही है। वेदों में कृषि के लिए 'सीता' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'सीता' को कृषि की देवी माना गया है और राम को 'कृषि संस्कृति' का संरक्षक एवं पोषक माना गया है। आज रामराज्य की संकल्पना की जा रही है और रामराज्य बिना कृषि प्रधानता के सम्भव नहीं है। विधि का कार्य अब केवल कानून व्यवस्था को सुनिश्चित एवं संचालित करना नहीं रह गया है। वर्तमान समय में इस का स्वरूप कल्याणकारी हो गया है और मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में अब इसका हस्तक्षेप एवं भूमिका अवश्यम्भावी एवं अतुलनीय हो गई है। ऐसा ही एक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। वर्तमान औद्योगिक क्रान्ति के दौर में भी पंचवर्षीय योजना और हरित क्रान्ति के सहयोग से एवं अन्य कृषि आधारित योजनाओं के द्वारा हमारी 'कृषि संस्कृति' के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास किया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें विधि का बल प्रदान किया गया। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी आज क्षेत्रपति (कृषक) जिसे वेदों में 'मित्र' के समान माना गया है, आत्महत्या करने को विवश है। कृषि उत्पादन में हास, अनियंत्रित कृषि, विपणन, कृषि आधारित एवं कृषि व्यवसाय सम्बन्धित समस्यायें आज भी विचारणीय हैं। साथ ही कृषि प्रधान देश में कृषि के समक्ष उत्पन्न अन्य चुनौतियों के सन्दर्भ में गहन विचार विमर्श हेतु स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। विद्वानों के माध्यम से इन सबके विधिक समाधान का रास्ता तलाश किया जाना समीचीन हो चुका है। जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित चुनौतियों से निपटा जा सके और भारतीय कृषि जगत को सशक्त बनाया जा सकें।

आयोजन समिति

डॉ. संजय कुमार बरनवाल	09415617285
श्री हरिचरण सिंह यादव	09196125569
श्री अनिल कुमार	09453776090
श्री अशोक कुमार	09170583344
डॉ. अनिरुद्ध राम	09918468428
श्री नलनीश चन्द्र सिंह	09415970571
श्री पवन कुमार गुप्ता	09412400897
श्रीमती रुंजना खंडेलवाल	09455030333
श्री विजय सिंह	09451397954
डॉ. दीपि गंगवार	09410870099
श्री अमित कुमार यादव	09473838629
डॉ. रघुबीर सिंह	09454505553
श्री अमरेन्द्र सिंह	09473960596
श्री प्रमोद कुशवाहा	09935971719
श्री अजीत कुमार	09889812183
श्री कुंवर मल्लिकार्जुन	09889010175
श्री मृदुल शुक्ला	09005182809

शाहजहाँपुर - संक्षिप्त परिचय

उत्तर वैदिक युग से लेकर हिन्दू शासकों के प्रभाव तक शाहजहाँपुर उत्तरी पांचाल का महत्वपूर्ण भाग था। हर्षवर्द्धन के 1894 में प्राप्त बाँसखेड़ा में ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि इस काल में जनपद का नाम अंगदीय था। मध्यकाल में यह क्षेत्र कटेहार के अन्तर्गत था। शाहजहाँ के शासन काल में नबाव बहादुर खाँ ने बादशाह के प्रति वफादारी दिखाते हुए 1647 में इसका नाम शाहजहाँपुर कर दिया।

शाहजहाँपुर की वीर प्रसूता धरा पर काकोरी काण्ड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, ठाकुर रोशन सिंह प्रभृत रणबाँकुरें जन्मे वहीं परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह भी यहीं की माटी में खोले। भारतीय स्काउटिंग की शुरुआत भी इसी धरा पर हुई। आध्यात्मिक जगत में भी अपनी दिव्य उपस्थिति से स्वामी शुकदेवानन्द जी महाराज तथा सहज मार्ग के प्रणेता रामचन्द्र महाराज ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से सारे संसार को चमत्कृत किया। यह एकांकी के जनक भुवनेश्वर की भी जन्मभूमि है।

पौराणिक दृष्टिकोण से परशुराम का जन्मस्थान, श्रृंगी ऋषि तथा शुक्राचार्य की यह तपोभूमि है। मौजगिरि महाराज ने 18 वर्षों तक लगातार खड़े रहकर विश्व रिकार्ड बनाया, जिसे गिनीज बुक में स्थान मिला है। चारौं अभिनेता राजपाल यादव ने भी अभिनय की बारीकियाँ यहीं के रंगमंच पर सीखीं।

शाहजहाँपुर सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा देश भर से जुड़ा हुआ है। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ से रेल मार्ग द्वारा और फरुखाबाद से यहाँ बस द्वारा पहुँचा जा सकता है। स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय मुमुक्षु शिक्षा संकुल में स्थित है। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन से यह लगभग 5 कि.मी. दूरी पर जिला अस्पताल के समीप ही स्थित है।

स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय एक आलोक

इस विधि महाविद्यालय की स्थापना एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) के अन्तर्गत ब्रह्मलीन स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी की स्मृति में परम पूज्य स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती जी के कुशल मार्गदर्शन एवं आशीष से सन् 2003 में हुई। इस विधि महाविद्यालय में स्थापना के समय विधि स्नातक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ था एवं सन् 2006 में विधि स्नातक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया जो निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहते हुए आज भी सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। महाविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते रहे हैं। इसकी विशिष्ट उपलब्धियों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक गतिविधियों एवं श्रेष्ठ परीक्षा परिणामों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय को धारा 12 B एवं 2(f) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की है।

EMPOWERMENT OF INDIAN AGRICULTURAL SECTOR & THE LAW भारतीय कृषि जगत का सशक्तिकरण और विधि

I. Constitutional mandate to agrarian uprising

1. Scientific organization of agriculture and animal husbandry
2. Slaughtering of cows, calves, and other milch and draught cattle
3. Allied Areas and the Legal Responses
 - a. Fisheries
 - b. Horticulture

II. Agricultural issues and legal responses

1. Agricultural Credits
2. Agricultural Waste
3. Distribution of Land Holdings (Land Reforms)
4. Farmers' Rights vs. Right to Food and the Law
5. Insurance
6. Protection of Traditional Knowledge
7. Subsidy

III. Development policies, malpractices in agricultural inputs supplies and impacts on agriculture

1. Industrialization
2. MGNREGA and other REGS and Other Schemes
3. Urbanization/ Acquisition
4. Fertilizers and Micronutrients
5. Peptides and Pesticides
6. Underquality Seeds

IV. Environmental quality and impact on agriculture

1. Climate Change
2. Disasters& its Management
3. Soil Degradation
4. Water Pollution

कार्यक्रम विवरण

दिनांक 27 फरवरी 2016

पंजीकरण	प्रातः 8:00 से 9:00
जलपान	प्रातः 9:00 से 10:00
उद्घाटन सत्र	प्रातः 10:00 से 1:00
भोजन	दोपहर 1:00 से 2:00
तकनीकी सत्र (प्रथम)	दोपहर 2:00 से 5:00
तकनीकी सत्र (द्वितीय)	दोपहर 2:00 से 5:00
सांस्कृतिक संध्या	सायं 6:00 बजे
रात्रि भोजन	रात्रि 8:30 बजे

दिनांक 28 फरवरी 2016

जलपान	प्रातः 8:00 से 9:00
तकनीकी सत्र (तृतीय)	प्रातः 9:00 से 12:30
तकनीकी सत्र (चतुर्थ)	प्रातः 9:00 से 12:00
भोजन	दोपहर 12:00 से 1:00
समापन सत्र	दोपहर 1:00 से 3:00

**EMPOWERMENT OF INDIAN
AGRICULTURAL SECTOR & THE LAW**
भारतीय कृषि जगत का सशक्तिकरण और विधि
पंजीकरण-प्रपत्र

प्रतिभागी का नाम _____

पद _____

पता _____

सम्पर्क फोन _____

E-mail _____

शोध-पत्र का शीर्षक _____

पंजीकरण शुल्क नकद _____ दिनांक _____

पंजीकरण शुल्क

शिक्षक : रु. 600/-मात्र, शोध छात्र/छात्रा रु. 400/-मात्र
अन्य छात्र/छात्रा रु. 300/- मात्र

परिवहन एवं यातायात व्यवस्था



श्री नलनीश चन्द्र सिंह - 9415970571, 9795965546

ई-मेल : singhnalnishi@gmail.com

शोध पत्र आमंत्रण

संगोष्ठी से सम्बन्धित 500 शब्दों में शोध सार (अबस्ट्रैक्ट) एवं शोधपत्र एम एस वर्ड पर न्यू टाइप्स रोमन या कृतिदेव 010 फान्ट में दिनांक 15 फरवरी 2016 तक ई-मेल आईडी nalmish.sslc@gmail.com पर अवश्य भेज दें।

नोट : शोध पत्र प्रस्तुतिकरण हेतु पावर प्याइंट प्रस्तुति सुविधा उपलब्ध है।



राष्ट्रीय संगोष्ठी

**EMPOWERMENT OF INDIAN
AGRICULTURAL SECTOR & THE LAW**

भारतीय कृषि जगत का सशक्तिकरण और विधि

27-28 फरवरी 2016

सेवा में,




प्रेषक

डॉ. संजय कुमार बरनवाल

प्राचार्य / संयोजक

स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय
मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर-242 226 (उ.प्र.)

स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय



राष्ट्रीय संगोष्ठी

27-28 फरवरी 2016

**EMPOWERMENT OF INDIAN
AGRICULTURAL SECTOR & THE LAW**

भारतीय कृषि जगत का सशक्तिकरण और विधि



**परमपूज्य महामण्डलेश्वर
ब्रह्मलीन स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज**

संरक्षक

स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती जी

अध्यक्ष (प्रबन्ध समिति)
स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय,
मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर

आयोजक

स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय

मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर - 242 226 फोन : 05842-240242
Website : www.sslawcollege.org.in, E-mail : sslawcollege@gmail.com